कार्यालय–डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, 145 रीडगंज, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

पत्रांकः 1512 /एफ–44310/अयोध्या/दिनांकः– 25.7/2019

सेवा में,

प्रबन्धक,
माता प्रसाद सिंह स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान,
ग्राम इमिलिया पोस्ट नगवा तहसील तरबगंज जिला–गोण्डा।

विषयः माता प्रसाद सिंह स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान, ग्राम इमिलिया पोस्ट नगवा तहसील तरबगंज जिला–गोण्डा नामक संस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र दिनांक–24.07.2019 के संदर्भ में अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21 सन् 1860 के अन्तर्गत उक्त सोसाइटी का पंजीकरण किया गया है। संस्था के पंजीकृत बाइलाज के अनुसार संस्था लाभकारी कार्य करने वाली नहीं है। सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

डिप्टी रजिस्ट्रार
अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 02796/2021-2022 दिनांक 10/02/2022

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/GON/15585/2021-2022 पत्रावली संख्या:F-44310 दिनांक:2016-2017

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **माता प्रसाद सिंह स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान।, ग्राम इमिलिया, पो0 नगवा, तह0 तरबगंज, जिला गोण्डा।, गोंडा, 271319** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1454/2016-2017 दिनांक-01/02/2017 को दिनांक-01/02/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।
1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(VANDNA SINGH)
6E75D31DDC68DD7047DFD9193A489C5FB0C6EF66
Date: 10/02/2022 5:01:18 PM, Location: Ayodhya.

जारी करने का दिनांक-10/02/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय-डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, 145 रीडगंज, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

पत्रांकः 2547 /एफ-44310/अयोध्या/दिनांकः- 24/09/2025

सेवा में,

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह/प्रबन्धक,
माता प्रसाद सिंह स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान,
ग्राम इमिलिया पोस्ट नगवा तहसील तरबगंज जिला-गोण्डा।

विषयः संस्था-माता प्रसाद सिंह स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान, ग्राम इमिलिया पोस्ट नगवा तहसील तरबगंज जिला-गोण्डा की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2025-2026 पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों के आधार पर प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2025-2026 नियमानुसार पंजीकृत किया जाता है। इसमें यदि किन्हीं तथ्यों को छुपाया गया होगा या गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये होंगे तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा तथा उक्त पंजीकृत प्रपत्र पंजीकरण की तिथि से अमान्य एवं विधि शून्य माने जायेंगे।

भवदीय

(लक्ष्मी कान्त) 24/09/25
डिप्टी रजिस्ट्रार
अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय-डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, 145 रीडगंज, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

पत्रांकः 2547 /एफ-44310/अयोध्या/दिनांकः- 24/09/2025

सेवा में,

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह/प्रबन्धक,
माता प्रसाद सिंह स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान,
ग्राम इमिलिया पोस्ट नगवा तहसील तरबगंज जिला-गोण्डा।

विषयः संस्था-माता प्रसाद सिंह स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान, ग्राम इमिलिया पोस्ट नगवा तहसील तरबगंज जिला-गोण्डा की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2025-2026 पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों के आधार पर प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2025-2026 नियमानुसार पंजीकृत किया जाता है। इसमें यदि किन्हीं तथ्यों को छुपाया गया होगा या गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये होंगे तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा तथा उक्त पंजीकृत प्रपत्र पंजीकरण की तिथि से अमान्य एवं विधि शून्य माने जायेंगे।

भवदीय

(लक्ष्मी कान्त) 24/09/25
डिप्टी रजिस्ट्रार
अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 90AE 297393

माता प्रसाद सिंह स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान
गोण्डा
प्रबन्ध समिति
25-26
F 44310

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
अयोध्या

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AE 610062

क्षेत्रीय कार्यालय निबन्धक सोसाइटीज़ अयोध्या

सत्यमेव जयते

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
अयोध्या (उ0 प्र0)

02/03/2021

माता प्रसाद सिंह स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान गोण्डा।

(संशोधित नियमावली)

F44310

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AE 610061

क्षेत्रीय कार्यालय निबन्धक समितियाँ
सत्यमेव जयते
अयोध्या उ० प्र०

माता प्रसाद सिंह
स्मारक शिक्षण सेवा
संस्थान गोण्डा

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाईटी एवं चिट्स
अयोध्या (उ० प्र०)

02/08/2021

सुरेश सिंह
(सचिव)

F 44310

संशोधित स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : माता प्रसाद सिंह स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान।
2. संस्था का पूरा पता : ग्राम इमिलिया, पो0 नगवा, तह0 तरवगंज, जिला गोण्डा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।
4. संस्था का उद्देश्य :

1. जन मानस में सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, यौद्धिक, शारीरिक एवं आध्यामत्मिक विकास करना तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की भावना जागृत करना।
2. बालक/बालिकाओं को हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था करना।
3. प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था हेतु विद्यालय/महाविद्यालय की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।
4. ज्ञानवर्धन हितार्थ पुस्तकालय, वाचनालय की निःशुल्क व्यवस्था करना।
5. बालिकाओं की शिक्षा के लिए क्षेत्र में बालिका विद्यालय/बालिका महाविद्यालय की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।
6. गरीब एवं असहाय बालक/बालिकाओं को सिलाई, कढ़ाई, संगीत, बुनाई, ब्यूटीशियन, फैशन डिजाइनिंग, इंग्लिस स्पीकिंग एवं शिल्पकला, काष्ठकला, दरी कालीन, टंकण, आशुलिपिक, कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं ग्रामोद्योगिक प्रशिक्षण दिलाने की निःशुल्क व्यवस्था करना।
7. जनहितार्थ छात्रावास, व्यायामशाला, म्यूजियम, पेन्टिंग गैलरी, अनाथालय, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, आदि की स्थापना कर निःशुल्क सेवा करना।
8. समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, कुश्ती प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, कथा–प्रवचन, योगा कार्यक्रम, जागरूकता शिविर, सामाजिक जागरूकता, प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना।
9. समाज कल्याण विभाग उ0प्र0, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण बोर्ड, कपार्ट, नाबार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डवाकरा, सिफसा, सैफ इण्डिया, केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्यक विभाग उ0प्र0 एवं केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय उ0प्र0, विकलांग कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं, विकलांग कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार एंव संचालन करना।
10. मूक बधिर, विकलांग, अनुसूचित, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक तथा गरीब असहायों के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण व संचालन कराना।
11. जन कल्याण हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार एवं संचालन करना।
12. बाल एवं बंधुवा मजदूरी पर रोक लगाने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों से समन्वय स्थापित कर विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करना।
13. दैवी आपदाओं में जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकांड, भूकम्प तूफान आदि में राहत कार्य करना एवं पीड़ित व्यक्ति की हर सम्भव सहायता करना।

रागिनी सिंह
S.P. Singh
चंचल

कृ0पृ0उ0.........2.......

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

14. जनमानस को किसी भी तरह से उत्पीड़ित किये जाने पर शासन प्रशासन की सहायता लेकर उनकी मदद करना एवं उसकी रोकथाम के प्रति उन्हे जागरूक करना।

15. उन्नत कृषि हेतु वज्ञानिक खेती की विधियों का प्रचार–प्रसार करना व कृषि शोध संस्थान की स्थापना करना तथा कृषकों को उन्नतिशील बीज एवं कृषि यंत्रों की तकनीक की जानकारी प्रदान करना।

16. फल प्रसंस्करण, फल एवं उद्यान को बढ़ावा देने हेतु सेमीनार गोष्ठी, चौपाल आदि का आयोजन करना तथा वैज्ञानिक ढंग से फलों एवं उद्यान की लोगों को जानकारी देना एवं जेयम, जेली, मुरब्बा, आचार आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण देना।

17. शिक्षा के उन्नयन हेतु नवीनतम तकनीक, प्राविधिक, औद्योगिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, विधि शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एंव आयुष शिक्षा, बी0एड0/बी0पी0एंड0/बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, बी0एल0एड0 आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

18. स्वच्छ जल आपूर्ति हेतु चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे स्वजल, जलनिधि, पेयजल मिशन एवं स्वजल धारा परियोजना का प्रचार–प्रसार एवं निःशुल्क क्रियान्वयन करना।

19. ग्रमीण स्वच्छता अभियान का आयोजन करना तथा ग्रामीण क्षेत्र में सुलभ शौचालयों का प्रयोग करने हेतु जनमानस को प्रेरित करना।

20. प्रदूषण नियंत्रण वैकल्पिक ऊर्जा विकास कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण, परिवार कल्याण, ऊसर भूमि सुधार, टीकाकरण, सामाजिक वानिकी वृक्षारोपण, वन्यजीव संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, नशा उन्मूलन आदि कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार व संचालन करना तथा यातायात के नियमों के बारे में निःशुल्क जानकारी प्रदान करना।

21. जनता के लिए मोबाइल अस्पताल की स्थापना करना तथा निःशुल्क दवा व इलाज की व्यवस्था करना तथा मोतियाबिन्द व नेत्र इलाज के लिए स्वास्थ्य शिविर कैम्पों का संचालन करना।

22. स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य जागरूकता शिविर, एड्स जागरूकता पल्स पोलियों, हेपाटाइटिस जागरूकता, अंधता निवारण, कुष्ठ नियंत्रण, क्षय रोग आदि के नियंत्रण का उपाय करना, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में फैलने वाली संक्रामक बिमारियों के प्रति जागरूकता पैदा करना व बचाव करना एवं शोध संस्थान स्थापित करना।

23. कन्या भ्रूण–हत्या व नारी सुरक्षा के लिए जनमानस में जागरूकता पैदा करना।

24. गरीब एवं निराश्रित कन्याओं व मध्यवर्गीय परिवार की कन्याओं के विवाह हेतु संस्था के माध्यम से सहायता करने का प्रयास करना।

25. समाज में व्याप्त अंधविश्वास, दहेज, दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह आदि की रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूकत करना।

26. नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, जूनियर टीचर्स ट्रेनिंग, कम्प्यूटर टीचर्स ट्रेनिंग, गेम टीचर्स ट्रेनिंग, आर्ट टीचर्स ट्रेनिंग, म्यूजिक टीचर्स ट्रेनिंग, एवं अन्य शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें संचालित करना।

27. ग्रामीण अंचल के लोगों के स्वास्थ्य हेतु योग और प्राकृतिक योग चिकित्सा, खेलकूद इत्यादि का समय–समय पर निःशुल्क प्रशिक्षण देना।

रागिनी सिंह
S.P. Singh
चंचल

सत्य प्रतिलिपि

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

माता प्रसाद सिंह स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान
ग्राम इमिलिया, पो0 नगवा, तह0 तरबगज, जिला गोण्डा (उ0प्र0)
की प्रबन्ध समिति की सूची
वर्ष 2025-2026

क्र0	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती चंचल सिंह उर्फ रेनू पत्नी श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह	ग्राम व पो0 कान्दभारी, जिला बलरामपुर।	अध्यक्ष	गृहणी
2.	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री केश नारायन सिंह	ग्राम व पो0 पचपुती जगतापुर, तह0 मनकापुर जिला गोण्डा।	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3	श्री चन्द प्रकाश सिंह पुत्र स्व0 माता प्रसाद सिंह	ग्राम इमिलिया, पो0 नगवा, तह0 तरबगंज जिला गोण्डा।	प्रबन्धक	समाजसेवा
4.	श्रीमती मंजू सिंह पत्नी श्री चन्द प्रकाश सिंह	गायत्री पुरम गोहरिया, नजदीक बाबा मजार जिला गोण्डा।	उपप्रबन्धक	गृहणी
5.	श्रीमती सरिता सिंह पत्नी श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह	पंचपुती, जगतपुर, जिला गोण्डा।	कोषाध्यक्ष	गृहणी
6	डिम्पल तिवारी पुत्री श्री जटाशंकर तिवारी	444, सागरपुर, फैजाबाद, जिला अयोध्या।	सदस्य	गृहणी
7.	श्रीमती इन्द्रवती सिंह पत्नी श्री केश नारायन सिंह	ग्राम व पो0 पचपुती जगतापुर, तह0 मनकापुर जिला गोण्डा।	सदस्य	गृहणी
8.	श्रीमती मीना सिंह पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह	ग्राम करौती, पो0 धुसरी बुजुर्ग जिला सिद्धार्थनगर।	सदस्य	गृहणी
9.	श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री प्रताप नारायन सिंह	ग्राम करौती, पो0 धुसरी बुजुर्ग जिला सिद्धार्थनगर।	सदस्य	समाजसेवा
10.	श्री पांचू पुत्र श्री भिखारी	ग्राम इमिलिया, पो0 नगवा, तह0 तरबगंज जिला गोण्डा।	सदस्य	कृषि
11.	श्री प्रेम प्रकाश सिंह पुत्र श्री माता प्रसाद सिंह	ग्राम इमिलिया बल्हा राय, पो0 नगवा, जिला गोण्डा।	सदस्य	कृषि
12	शालू सिंह पुत्री श्री प्रेम प्रकाश सिंह	1007, हाउसिंग कालोनी, सिविल लाइन तह0 व जिला गोण्डा।	सदस्य	समाजसेवा
13.	श्रीमती संजू सिंह पत्नी श्री राजेश कुमार सिंह	टेडवा बसंतपुर, महसी ,जिला बहराइच।	सदस्य	गृहणी
14.	श्री प्रवीण कुमार पाण्डेय पुत्र श्री वेंकटेश्वर दत्त पाण्डेय	215, रामा टेम्पल बनघुसरा भगहर बुलन्द जिला गोण्डा।	सदस्य	समाजसेवा
15.	श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री महंत चन्द्र श्रीवास्तव	210, ए विष्णु पूरी कालोनी, गोनाई होटल के पीछे, जिला गोण्डा।	सदस्य	समाजसेवा
16.	श्री दिलीप कुमार तिवारी पुत्र श्री आत्मानन्द तिवारी	मं0नं0 61 रोड शीतल पुरवा बनधुसरा भगहर बुलन्द, जिला गोण्डा।	सदस्य	समाजसेवा

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स अयोध्या (उ0प्र0)

चंचल
S.P. Singh
सरिता सिंह

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : माता प्रसाद सिंह स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान।
2. संस्था का पूरा पता : ग्राम इमिलिया, पो0 नगवा, तह0 तरवगंज, जिला गोण्डा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को एक बार में रूपया 2100/– नगद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप में प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु एक बार में रूपया 100/– वार्षिक चंदा प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

5. सदस्यता की समाप्ति :

1 मृत्यु हो जाने पर।
2 पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3 संस्था के प्रति हानिकर कार्य करने पर।
4 न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
5 नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
6 लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
7 त्याग–पत्र या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।

6 संस्था के अंग : (अ) साधारण सभा (ब) प्रवन्धकारिणी समिति।

7 साधारण सभा :

गठन : सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित एजेण्डे से दिया जायेगा।

गणपूर्ति : साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए पर्याप्त होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि: साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबंधकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों की अनुमति से तय की जायेगी।

साधारण सभा के कर्तव्य :
1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
3. संस्था वार्षिक बजट पास करना।
4. नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन साधारण सभा द्वारा 2/3 सदस्यों की बहुमत से किया जायेगा।

8. प्रबंधकारिणी समिति

गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा। जिसमें अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, प्रबन्धक एक, उपप्रबन्धक एक, कोषाध्यक्ष तथा अन्य 11 सदस्य होगें। इस

कृ0पृ0उ0.........2......

रागिनी सिंह
S. P. Singh
पंचम

कार्यालय निबन्धक ... अयोध्या उ0 प्र0
सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक फर्म्स सोसाईटी एवं चिट्स अयोध्या (उ0 प्र0)

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

		प्रकार कुल संख्या 16 होगी जो आवश्यकतानुसार बढ़ाई व घटाई भी जा सकती है।
बैठकें	:	प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में चार बार और विशेष बैठक कभी भी आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों को सूचना देकर बुलायी जा सकती है।
सूचना अवधि	:	प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व लिखित एजेण्डे से दी जायेंगी।
गणपूर्ति	:	प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति के लिए 2/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।
रिक्त स्थानों की पूर्ति	:	प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई भी आकस्मिक स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

प्रबंधकारिणी समिति के कर्तव्य

1 संस्था की उन्नति एवं प्रगति के लिए आवश्यक कार्य करना।

2 संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

3 संस्था की वार्षिक बजट कार्य योजना तैयार करना।

4 संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, समाज कल्याण विभाग, विदेशी संस्थाओं एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण, चन्दा, अनुदान व दान प्राप्त करना तथा भूमि–भवन दान स्वरूप प्राप्त करना एवं भवन आदि का निर्माण करना।

5 विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

6 विद्यालय की प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

7 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

8 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदो की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

9 संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियो अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें।

10 कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

रागिनी सिंह
S.P. Singh
चंचल

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाईटी एवं चिट्स
अयोध्या (उ0प्र0)

कृ0पृ0उ0.........3...........

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

	11		राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आवेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।
	12		विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
	13		उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नही किया जायेगा।
कार्यकाल	:		प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा।

9. **प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :**

अध्यक्ष	1.	सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
	2.	बैठकों के लिये दिनांकों का अनुमोदन, परिवर्तन एवं स्थगित करना।
	3.	समान मत होने पर अपना एक निर्णायक मत देना।
	4.	बैठक में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।
	5.	संस्था द्वारा संचालित केन्द्रों की व्यवस्था करना।
उपाध्यक्ष		अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना तथा उनके कार्यो में सहयोग प्रदान करना।
प्रबन्धक	1.	प्रबन्धकारिणी समिति का मुख्य पदाधिकारी होगा।
	2.	प्रबन्धकारिणी समिति के प्रगति सम्बन्धी निर्णयों को क्रियान्वित करना।
	3.	कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
	4.	संतुष्टि की स्थिति में कर्मचारियों के विशेष अवकाशों की स्वीकृति करना।
	5.	संस्था के समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करके प्रमाणित करना।
	6.	समस्त बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
	7.	सरकार द्वारा ऋण तथा अनुदान प्राप्त करना।
	8.	बजट के आधार पर संस्था की सम्पत्ति का प्रबन्धन एवं नियंत्रण करना।
	9.	संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति की देख रेख एवं सुरक्षा करना।
	10.	आय व्यय का निरीक्षण करना।
	11.	संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना तथा अभिलेखों एवं पत्र को सुरक्षित रखना।
	12.	पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
	13.	संस्था की तरफ से समस्त पत्र व्यवहार करना।
	14.	सदस्यों के नाम सदस्यता रजिस्टर पर लिखना।
	15.	बैठकों की कार्यवाही लिखना एवं सुनाना।
	16.	बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप से देना।
उपप्रबन्धक		प्रबन्धक की अनुपस्थिति के उसके द्वारा दिये गये कार्यो को करना।
कोषाध्यक्ष	1.	संस्था आय व्यय का लेखा जोखा करना।
	2.	दान व चन्दा प्राप्त करना व रसीद देना।
	3.	प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स अयोध्या (उ0 प्र0)

रागिनी सिंह
S. P. Singh
चंचल

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में परिवर्तन व परिवर्धन किया जायेगा।

11. संस्था का कोष : संस्था का कोष किसी भी मान्यता प्राप्त व राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

12. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण आडिट:

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) किसी सुयोग्य ऑडिटर द्वारा वर्ष में एक बार कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा।

13. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :

संस्था द्वारा होने वाले समस्त अदालती कार्यवाही की पैरवी प्रबन्धक द्वारा की जायेगी या उसके द्वारा किसी अन्य अधिकृत वर्णित द्वारा की जायेगी।

14. दायित्व : संस्था द्वारा प्राप्त ऋणों क अदायगी उसकी उपयोगिता एवं सुरक्षा का दायित्व सभी सदस्यों का सामूहिक एवं पृथक रूप से होगा। आवश्यकता पड़ने पर बाहरी दायित्वों के लिए सदस्य अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति जमानत में देगे। यह दायित्व ऋण अदायगी तक बना रहेगा।

15. संस्था के अभिलेख : 1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. एजेण्डा रजिस्टर
5. कैशबुक आदि।

16. संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्यप्रतिलिपि

हस्ताक्षर

रागिनी सिंह

S.P. Singh

चंचल

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner